न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 4113–दो/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–10–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर प्रकरण कमांक 230/अपील/2012–13.

1– जगदीश पुत्र मोतीराम कुल्मी
2– सजन बाई बेवा मोतीराम कुल्मी
निवासीगण ग्राम अहमद
तहसील सरदारपुर जिला धार .....आवेदकगण

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, जिला धार .....अनावेदक

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक,आवेदकगण
श्री एच.के. अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/8/15 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा पारित आंदेश 9–10–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार, सरदारपुर जिला धार के समक्ष संहिता की धारा 109 एवं 110 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम अहमद पटवारी हल्का नं. 60 (22) तहसील सरदारपुर स्थित सर्वे कमांक 255 रकबा 1.902 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 300/2 रकबा 1.282 हेक्टेयर, सर्वे

कमांक 394 रकबा 1.682 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 412 रकबा 2.822 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 419 रकबा 1.630 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 429 रकबा 1.559 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 474 रकबा 0.450 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 576/1 रकबा 0.173 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 597/1 रकबा 0.090 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 705 रकबा 0.303 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 706 रकबा 0.272 हेक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 11.866 हेक्टेयर उनके संयुक्त भूमिस्वामी स्वामित्व की भूमि है । उपर्युक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में आवेदक कमांक 1 के पिता एवं आवेदिका कमांक 2 के पति मोतीराम के भूमिस्वामी स्वत्व की थी । उनकी मृत्यु उपरान्त वादग्रस्त भूमि आवेदकगण के नाम दर्ज हुई । खसरे की नकल प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि आवेदिका कमांक 2 सजन बाई के स्थान पर वरदी बाई नाम दर्ज हो गया है, आवेदकगण के परिवार में वरदी बाई नाम की कोई महिला नहीं है, इसलिए वरदी बाई बेवा मोतीराम के स्थान पर सजन बाई बेवा मोतीराम का नाम संशोधित किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 39/अ–6/2010–11 दर्ज किया जाकर दिनांक 11–7–11 को आदेश पारित कर आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, सरदारपुर जिला धार के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28–2–2012 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 9–10–2013 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक को 7 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत किये जाने थे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदकगण की ओर से जो आवेदन पत्र तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, उस पर कोई विधिवत विचार तहसील न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है । तहसील न्यायालय द्वारा मात्र पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया गया है, जबकि पटवारी का एकपक्षीय प्रतिवेदन साक्ष्य में ग्राह्य योग्य ही नहीं है । अतः ऐसे अग्राह्य

प्रतिवेदन के आधार पर जो आदेश अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किये गये हैं, वह नितांत अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

(2) आवेदकगण की ओर से तहसील न्यायालय के समक्ष भूमि के हक और कब्जे के संबंध में ग्राम पंचायत का, प्रमाण पत्र एवं अन्य गवाहों के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये थे, जिन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किंचित मात्र ध्यान नहीं दिया और न ही अपने आदेश में उक्त दस्तावेजों का विवेचन ही किया । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश साक्ष्य एवं प्रकिया के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

(3) तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदकगण की ओर से अपने आवेदन पत्र में यह भी उल्लेख किया था कि वरदी बाई नाम की कोई महिला ग्राम अहमद में नहीं है और न ही 25–30 वर्षों से उक्त, नाम की महिला को किसी ने ग्राम अहमद में देखा था । इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उपरोक्त स्थिति को नजर अंदाज कर जो आदेश पारित किये हैं, वह नितांत अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

(4) अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के वैधानिक कर्तव्य है कि वह प्रकरण में आई साक्ष्य का समुचित विवेचन कर आदेश पारित करें । इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा साक्ष्य का किंचित मात्र विवेचन किये बिना ही जो आदेश पारित किये हैं, वह नितांत अवैध, अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तक प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत इस्तहार का प्रकाशन कराया गया है तथा पटवारी रिपोर्ट ली जाकर आवेदकगण को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधिवत प्रकिया का पालन कर आदेश पारित किया गया है, जो उचित है । यह भी कहा गया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से निरस्त की जाये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी आवेदकगण सहित वरदी बाई है । वरदी बाई मृतक मोतीराम की दूसरी पत्नी है । तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदकगण द्वारा उसका नाम विलोपित करने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा पूर्णतः

वैधानिक कार्यवाही की गई है, क्योंकि वरदी बाई का प्रश्नाधीन भूमियों पर स्वत्व समाप्त करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है । इस प्रकार तहसीलदार के वैधानिक आदेश की पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । अपर आयुक्त द्वारा भी उपरोक्त निष्कर्ष के साथ अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई है । अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–10–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर